फर्द अहकाम

बिहारीलाल बनाम योगेन्द्र कुमार जैन व अन्य

लय SDO II. सांगानेर

210/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 07 R 11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 07 R 11 CPC को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली, प्रार्थना पत्र आदेश 07 R 11 CPC एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर इस बात निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 378, 384, 385/1, 387 के मालिक मैसर्स कोरियर पॉइंट लि0 निवासी 112 की, शक्ति नगर, कोटा जिसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नरेन्द्र जैन ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26/5/23 में प्रार्थी श्रवण सिंह चौहान को बेचान कर दी। अत वर्णित भूमि के खातेदार कोरियर पॉइंट लि0 द्वारा राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन JDA में रूपान्तरण हेतु आवेदन करने पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के निर्णय दिनांक 9/3/2011 पत्रांक एल.यू. 2012/जेडीए/2021-22/10116 के द्वारा खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 63 के नियमों अनुसार कृषि से गैर-कृषि मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रयोजन (आवासीय रूपान्तरण) का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति के आदेश जारी कर वर्ष 2021 से जमाबन्दी जे.डी.ए. के नाम दर्ज है। अत: प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Pr by Adv - Laxminarayan ji
R/cf & report
10/11/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर, जयपुर

राजस्व वाद संख्या 210/2023

बिहारीलाल पुत्र श्री चौथमल, उम्र- 65 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अचरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... वादी

बनाम

1. योगेन्द्र कुमार जैन पुत्र खेमचन्द जैन, जाति महाजन, निवासी 315, गांधी चौक, रामपुरा, कोटा, राजस्थान।
2. प्रदीप जैन पुत्र प्रकाशचन्द जैन, जाति महाजन, निवासी 5ई9, महावीरनगर विस्तार, कोटा, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

..... प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 92ए व 188 राज. काश्त. अधिनियम

महोदय,

वादी द्वारा वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

1. यह कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 380 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर ग्राम अचरावाला, पटवार हलका कपूरावाला, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है। उक्त भूमि पर वादी खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है। तथा ग्राम अचरावाला में ही गै.मु.चाह खसरा नंबर 388 रकबा 0.0100 हैक्टेयर है, जो वादी के पितामह ओंकार पुत्र गणेश की खातेदारी में हिस्सा 1/10 है। वर्तमान में उक्त कुए को वादी

नि.अं. बिहारीलाल